राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 246 / 2024
GCMS No. 2024 / 476

चोथमल सैनी पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी वार्ड नं. 10 प्रतापपुरा तन गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. ताराचन्द पुत्र लालाराम
2. सन्तोष पुत्री प्रहलाद
3. भोलाराम पुत्र माधा
4. बबरू पुत्र माधा
   जाति माली निवासी 10 प्रतापपुरा तन गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व
धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादी – श्री रामनरेश सैनी

:: निर्णय :: **दिनांक :– 20–05–2025**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 36 के ख.नं. 91 रकबा 0.25 है., ख.नं. 92 रकबा 0.45 है., ख.नं. 93 रकबा 0.80 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है. तथा वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता सं. 37 के ख.नं. 106 रकबा 0.65 है., ख.नं. 107 रकबा 0.42 है., ख.नं. 111 रकबा 1.35 है., ख.नं. 115 रकबा 0.23 है., ख.नं. 116 रकबा 0.62 है., ख.नं. 1574 / 111 रकबा 0.24 है., ख.नं. 1575 / 114 रकबा [illegible] है., ख.नं. 1576 / 104 रकबा 0.32 है., ख.नं. 1577 / 115 रकबा 0.33 है., ख.नं. 94 रकबा 0.25 है., ख.नं. 95 रकबा 0.24 है. कुल किता 11 कुल रकबा 4.89 है. का वादी संयुक्त खातेदार काश्तकार [illegible] रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.06.06 17:50:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

है। वादी का सही नाम चोथमल सैनी पुत्र प्रहलाद है जो वादी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड व बैंक खाता आदि में दर्ज है। वादी का घरेलू नाम चोथूराम था इस कारण वाद पत्र के खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि में वादी का घरेलू नाम चोथूराम पुत्र प्रहलाद दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम चोथमल सैनी पुत्र प्रहलाद है। अनभिज्ञता के कारण वादी का नाम गलत दर्ज हुआ है। इस कारण वाद वर्णित भूमि की खातेदारी में दर्ज चोथूराम पुत्र प्रहलाद का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर चोथमल सैनी पुत्र प्रहलाद की घोषणा करवाने का वादी को अधिकार है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता सं. 36 के ख.नं. 91 रकबा 0.25 है., ख.नं. 92 रकबा 0.45 है., ख.नं. 93 रकबा 0.80 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है. तथा वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 37 के ख.नं. 106 रकबा 0.65 है., ख.नं. 107 रकबा 0.42 है., ख.नं. 111 रकबा 1.35 है., ख.नं. 115 रकबा 0.23 है., ख.नं. 116 रकबा 0.62 है., ख.नं. 1574/111 रकबा 0.24 है., ख.नं. 1575/114 रकबा 0.24 है., ख.नं. 1576/104 रकबा 0.32 है., ख.नं. 1577/115 रकबा 0.33 है., ख.नं. 94 रकबा 0.25 है., ख.नं. 95 रकबा 0.24 है. कुल किता 11 कुल रकबा 4.89 है. में दर्ज वादी का नाम चोथूराम पुत्र प्रहलाद हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी का नाम चोथमल सैनी पुत्र प्रहलाद घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 5 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2025/676 दिनांक 01.04.2025 से पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की मूल जांच रिपोर्ट बिन्दुवार भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–79 खाता सं. 36 व खाता सं. 37 ग्राम प्रतापपुरा, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, फोटो प्रति आधार कार्ड, आयकर विभाग का पेन कार्ड पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ–पत्र चोथमल [illegible] (पी.डब्ल्यू.–1), माडू पुत्र लालाराम (पी.डब्ल्यू.–2), बनवारीलाल पुत्र प्रहलाद (पी.डब्ल्यू.–[illegible]) को [illegible]श किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.06.06 17:50:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी के पत्र क्रमांकः 676 दिनांक 01.04.2025 के साथ संलग्न पटवारी हल्का गाडराटा व भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के द्वारा वादी का नाम चोथूराम पुत्र प्रहलाद के स्थान पर चोथमल सैनी पुत्र प्रहलाद किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। राजस्व ग्राम प्रतापपुरा की जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 36 व 37 में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **प्रतापपुरा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 36 व 37 में वादी का वर्तमान में दर्ज नाम **"चोथूराम पुत्र प्रहलाद"** के स्थान पर **"चोथमल सैनी पुत्र प्रहलाद"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातों में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.06.06 17:50:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner